कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–22/2019– 446 दिनांक : 15.06.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/लातेहार वन प्रमंडल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/साहेबगंज वन प्रमंडल/ पाकुड़ वन प्रमंडल/ गोड्डा वन प्रमंडल/ जामताड़ा वन प्रमंडल/ सरायकेला वन प्रमंडल/ रामगढ़ वन प्रमंडल/ बोकारो वन प्रमंडल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/ राँची वन प्रमंडल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, तथा नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु **रू0 81.268 (इक्कासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–29/2019–12/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.06..2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–33/2020–07/आ0 व0प0 दिनांक 27.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 81.268 (इक्कासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110140010103	81.268
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110140010323	0.000
कुल :–		**81.268**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर, तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110140010103 एवं 19S24060110140010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6'' छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए गये है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11 सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का

सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iv) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(v) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(vi) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vii) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(viii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(ix) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(x) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(xi) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> **।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2019–** 446 दिनांक– 15.06.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/दुमका/हजारीबाग/जमशेदपुर/बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ जमशेदपुर/ बोकारो/ गिरिडीह/ राँची/ हजारीबाग/ चतरा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> **।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2019–** 446 दिनांक– 15.06.2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा/ देवघर/ साहेबगंज/ पाकुड़/ गोड्डा/ जामताड़ा/ सरायकेला/ रामगढ़/ बोकारो/ गिरिडीह/ डोरण्डा, राँची/ हजारीबाग/चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> **।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021—22 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू—संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021—22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साम्रग्री	कुल
			2272.71	**0.00**	**2272.71**
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	180	4.091	0.000	4.091
2	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	11.363	0.000	11.363
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	350	7.954	0.000	7.954
	योगः—	**1030**	**23.408**	**0.000**	**23.408**
दुमका रीजन					
4	पाकुड वन प्रमंडल, पाकुड	72	1.636	0.000	1.636
5	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	50	1.136	0.000	1.136
6	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50	1.136	0.000	1.136
	योगः—	**172**	**3.908**	**0.000**	**3.908**
जमशेदपुर रीजन					
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	104	2.364	0.000	2.364
	योगः—	**104**	**2.364**	**0.000**	**2.364**
बोकारो रीजन					
8	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	250	5.682	0.000	5.682
9	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	300	6.818	0.000	6.818
10	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	625	14.204	0.000	14.204
	योगः—	**1175**	**26.704**	**0.000**	**26.704**
प्रसार वानिकी					
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	60	1.364	0.000	1.364
12	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहर	100	2.273	0.000	2.273
	योगः—	**160**	**3.637**	**0.000**	**3.637**
	सकल योगः—	**2641**	**60.021**	**0.000**	**60.021**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	नदी एवं उसके उदगम स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं साम्रग्री	कुल
				2272.71	**0.00**	**2272.71**
दुमका रीजन						
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	राजाभीठा (सुन्दर नदी)	50	1.136	0.000	1.136
2	देवघर वन प्रमण्डल	तिउर पहाड (काटा झरना) (मयूराक्षी नदी)	100	2.273	0.000	2.273
3	साहेबगंज वन प्रमंडल	बाँझी (मोतीझरना नदी)	50	1.136	0.000	1.136
	योगः–		**200**	**4.545**	**0.000**	**4.545**
हजारीबाग रीजन						
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	नीरी (नीरी नदी)	50	1.136	0.000	1.136
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल	बेडाहरिहरा (घसकारो नदी)	50	1.136	0.000	1.136
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	बेलगड्डा (फलगु नदी)	50	1.136	0.000	1.136
		घाघरा (गरी नदी)	50	1.136	0.000	1.136
		सरगाँव (पुरैनी नदी)	40	0.909	0.000	0.909
		सेसांग (हेरु नदी)	50	1.136	0.000	1.136
		मारंगी पहाड़ (बासा नदी)	50	1.136	0.000	1.136
	योगः–		**340**	**7.725**	**0.000**	**7.725**
पलामू रीजन						
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	बंशीखूर्द (जिन्जोई नदी) महुअरी (बटाने नदी) राजडेरवा (बधौता नदी) गोरेथान (सलैया नदी) हुलसी कला (तेनुडीह नदी)	150	3.409	0.000	3.409
	योगः–		**150**	**3.409**	**0.000**	**3.409**
बोकारो रीजन						
8	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल	मानजोरी बहादूरपुर (जयन्ती नदी)	100	2.273	0.000	2.273
		गौरीपुर (सकरी नदी)	25	0.568	0.000	0.568
		धावाटांड (सकरी नदी)	25	0.568	0.000	0.568
		जमुनियांचुवां, भवनपुर, महेशपुर, कमलासिंघा, केन्दुआडीह (हरकटवा नदी)	25	0.568	0.000	0.568
	योगः–		**175**	**3.977**	**0.000**	**3.977**
राँची रीजन						
9	राँची वन प्रमंडल	चतरा (राढू नदी)	70	1.591	0.000	1.591
	योगः–		**70**	**1.591**	**0.000**	**1.591**
	सकल योगः–		**935**	**21.247**	**0.000**	**21.247**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2021-22\Development\Sub-Allotment\Silvicultrutal Operation\OA\S. O. 12 dt. 27.06.2019\Silvicultural (OA)

अनुलग्नक–2

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 311.33 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 311.33						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2272.71	0.00	2272.71	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग–		7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2021-22\Development\Sub-Allotment\Silvicultrutal Operation\OA\S. O. 12 dt. 27.06.2019\Silvicultural (OA)

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26551	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR.FOREST.DIV. 03 - मजदूरी	750,000.00 रुपये सात लाख पचास हजार
2	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26554	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	1,136,300.00 रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ
3	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26556	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	795,400.00 रुपये सात लाख पिनचानवे हजार चार सौ

योग: रुपये छब्बीस लाख इक्कयासी हजार सात सौ 2,681,700.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.97.147.54 Run Date: 15/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमां	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26557	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	227,300.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
5	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26558	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	113,600.00 रुपये एक लाख तेरह हजार छः सौ
6	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26559	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	163,600.00 रुपये एक लाख तीरसठ हजार छः सौ

योग: 504,500.00

क्रमिक योग: रुपये इकतीस लाख छियासी हजार दो सौ 3,186,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCH

 59.97.147.54 Run Date: 15/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमां	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26561	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	227,200.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार दो सौ
8	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26562	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	113,600.00 रुपये एक लाख तेरह हजार छः सौ
9	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26563	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	236,400.00 रुपये दो लाख छत्तीस हजार चार सौ

योग: रुपये सैतीस लाख तीरसठ हजार चार सौ 577,200.00

क्रमिक योग: 3,763,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्वर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26564	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	568,200.00 रुपये पॉच लाख अडसठ हजार दो सौ
11	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्वर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26565	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	681,800.00 रुपये छः लाख इक्कयासी हजार आठ सौ
12	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्वर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26566	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	1,818,100.00 रुपये अठारह लाख अठारह हजार एक सौ

योग: रुपये अडसठ लाख इकतीस हजार पॉच सौ 3,068,100.00

क्रमिक योग: 6,831,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.97.147.54 Run Date: 15/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमां	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26567	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	159,100.00 रुपये एक लाख उनसठ हजार एक सौ
14	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्वर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26569	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	113,600.00 रुपये एक लाख तेरह हजार छः सौ
15	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्वर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्वरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26570	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICER EAST 03 - मजदूरी	113,600.00 रुपये एक लाख तेरह हजार छः सौ

योग: 386,300.00

रुपये बहत्तर लाख स त्र ह हजार आठ सौ

क्रमिक योग: 7,217,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND
RANCHI

59 37.147.54

Run Date: 15/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019_a/446 दिनांक - 15-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26571	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	545,300.00 रुपये पाँच लाख पैंतालीस हजार तीन सौ
17	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26573	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
18	S 19 24060110140010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल आॅपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26574	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	227,300.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार तीन सौ

योग: 909,000.00

रुपये इक्कयासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ

क्रमिक योग: 8,126,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCH

Run Date: 15/6/2021